CANTONMENT BOARD MEERUT

'HAR GHAR JHANDA' Programme during Independence Week (11-17 Aug 2022)

'Har Ghar Jhanda' programme being implemented as part of "Azadi ka Amrit Mahotsav" envisages inspiring Indians everywhere to hoist the National Flag at their residential premises with an aim to invoke feeling of patriotism in the hearts of the people and promote awareness about our National Flag.

The salient features of Flag Code of India for compliance of directions is as under:

The Indian National Flag represents the hopes and aspirations of the people of India. It is the symbol of our national pride and there is universal affection and respect for, and loyalty to, the National Flag. It occupies a unique and special place in the emotions and psyche of the people of India.

The hoisting/use/display of the Indian National Flag is governed by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and the Flag Code of India, 2022. Some of salient features of the Flag Code of India, 2022 are listed below for the information of the public:-

- a) The Flag Code of India, 2002 was amended vide Order dated 30th December, 2021 and National Flag made of polyester or machine made Flag have been allowed. Now, the National Flag shall be made of hand spun and hand woven or machine made, cotton/polyester/wool/silk khadi bunting.
- b) A member of public, a private organization or an educational institution may hoist/display the National Flag on all days and occasions, ceremonial or otherwise, consistent with the dignity and honour of the National Flag.
- c) The National Flag shall be rectangular in shape. The Flag can be of any size but the ratio of the length to the height (width) of the Flag shall be 3:2.
- d) Where the Flag is displayed in open, it should, as far as possible, be flown from sunrise to sunset, irrespective of weather conditions.
- e) Whenever the National Flag is displayed, it should occupy the position of honour and should be distinctly placed.
- f) A damaged or disheveled Flag shall not be displayed.
- g) The Flag should not be flown form a single masthead simultaneously with any other flag or flags.
- h) The Flag should not be flown on any vehicle except of the dignitaries mentioned in Section IX of Part III of the Flag Code, such as President, Vice-President, Prime-Minister, Governors etc.
- i) No other flag or bunting should be placed higher than or above or side by side with the National Flag.

Please ensure to observe 'Har Ghar Jhanda' programme by hoising the National Flag in your respective houses from 11^{th} to 17^{th} August 2022 while abiding by the Flag Code of India, 2002.

File No. 330/G/

Dated: 30 .07.2022.

CHIEF EXECUTIVE OFFICER,
MEERUT CANTT.

कार्यालय छावनी परिषद् मेरठ।

स्वतंत्रता सप्ताह (11 से 17 अगस्त 2022) के दौरान 'हर घर झंडा' कार्यकम।

"आजादी का अमृत महोत्सव" के अंश के रूप में लागू किए जा रहे 'हर घर झंडा' कार्यक्रम में लोगों के दिलों में देशभिक्त की भावना पैदा करने और हमारे राष्ट्र के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर जगह भारतीयों को अपने आवासीय परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया गया है।

निर्देशों के अनुपालन के लिए भारतीय ध्वज संहिता की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार हैं:-

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज भारत के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और राष्ट्रीय ध्वज के लिए सार्वभौमिक स्नेह और सम्मान और वफादारी है। यह भारत के लोगों की भावनाओं और मानस में एक अद्वितीय और विशेष स्थान रखता है।

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराना/उपयोग/प्रदर्शन करने के अपमान की रोकथाम राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम, 1971 और भारत ध्वज संहिता, 2022 के द्वारा नियंत्रित होता है। भारत ध्वज संहिता, 2022 की कुछ मुख्य विशेषताएँ जनता की जानकारी के लिए नीचे सूचीबद्ध हैं:—

- क) भारत ध्वज संहिता, 2022 को 30 दिसम्बर, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित किया गया है और पॉलिएस्टर या मशीन से बने ध्वज से बने राष्ट्रीय ध्वज को अनुमित दी गई है। अब, राष्ट्रीय ध्वज हाथ से काता और हाथ से बुने हुए या मशीन से बने, कपास/पॉलिस्टर/ऊन/रेशम आदि ध्वज पट्ट से बना होगा।
- ख) सार्वजनिक, निजी संगठन या शैक्षणिक संस्थान का कोई सदस्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा और सम्मान के अनुरूप सभी दिनों और अवसरों पर औपचारिक, अनुष्ठानिक या अन्यथा, राष्ट्रीय ध्वज फहरा/प्रदर्शित कर सकता है।
- ग) राष्ट्रीय ध्वज आकार में आयताकार होगा। झंडा किसी भी आकार का हो सकता है लेकिन झंडे की लंबाई और ऊंचाई (चौड़ाई) का अनुपात 3:2 होगा।
- घ) जहां झंडे को खुले में प्रदर्शित किया जाता है। जहां तक संभव हो इसे सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए चाहे मौसम की स्थिति कुछ भी हो।
- ड़) जब भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शित किया जाता है तो उसे सम्मान की स्थिति में होना चाहिए और स्पष्ट रूप से रखा जाना चाहिए।
- च) क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त झंडा प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
- छ) किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक साथ एक ही मास्टहेड के रूप में झंडा नहीं फहराया जाना चाहिए।
- ज) ध्वज संहिता के भाग III की धारा IX में उल्लिखित गणमान्य व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आदि को छोड़कर किसी भी वाहन पर झंड़ा नहीं फहराया जाना चाहिये।
- झ) राष्ट्रीय ध्वज के साथ किसी भी अन्य ध्वज या बंटिंग को ऊपर या बगल में नहीं रखा जाना चाहिए।

कृपया 11 अगस्त से 17 अगस्त 2022 तक भारत के ध्वज संहिता, 2002 का पालन करते हुए अपने—अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर `हर घर झंडा' कार्यक्रम मे भाग लेना सुनिश्चित करें।

फाईल सं0 330/जी/ दिनांकः **30/** .07.2022. मुख्य अधिश्वासी अधिकारी मेरठ छावनी